



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5407/MH/540/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 05.05.2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला- अहिल्यानगर,  
जिला कलेक्टर कार्यालय,  
अहिल्यानगर, महाराष्ट्र 414001  
ई-मेल: collector.ahilyanagar@maharashtra.gov.in

विषय: आदिवासी खातेदार कासाबाई झुंबर पथवे की भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गैर आदिवासी के नाम करके आदिवासी खातेदार के साथ अन्याय करने के संबंध में श्री मदन सोमनाथ पथवे, मुक्काम-पोस्ट-देवठाण (दोडकनदी), तालुका-अकोले, जिला-अहिल्यानगर (अहमदनगर), महाराष्ट्र से प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.07.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 18.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)  
निदेशक/Director  
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मदन सोमनाथ पथवे,  
मुक्काम-पोस्ट-देवठाण (दोडकनदी),  
तालुका-अकोले, जिला-अहिल्यानगर (अहमदनगर), महाराष्ट्र  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु  
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

### National Commission for Scheduled Tribes

( भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय )

(A Constitutional body exercising power of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)

( मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय )

(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERELA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

### नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5407/MIH/540/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15/07/2025

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला कलेक्टर कार्यालय,

अहिल्यानगर,

अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414001

Email Id: [collector.ahmednagar@maharashtra.gov.in](mailto:collector.ahmednagar@maharashtra.gov.in)

**विषय:** श्री मदन सोमनाथ पथवे, मु. पो. देवठाण (दोडकनदी), ता. अकोले, जिला अहमदनगर, (महाराष्ट्र) - आदिवासी खातेदार कासावाई झुंबर पथवे की भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गैर आदिवासी के नाम करके आदिवासी खातेदार के साथ अन्याय करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मदन सोमनाथ पथवे से दिनांक 16/06/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है. अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

8/c

  
(अंकित कुमार सेन, Ankit Kumar Sen)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री मदन सोमनाथ पथवे,

मु. पो. देवठाण (दोडकनदी),

ता. अकोले, जिला अहमदनगर, (महाराष्ट्र) - 431215.

madan.pathave@gmail.com

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित

जनजाति आयोग, भोपाल

Office of the Director, National

Commission for Scheduled Tribes, Bhopal

प्रमाण संख्या / No. 1232/33

दिनांक / Date 23/07/25